न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 184 सन 2011

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन अरडकी हाल आबाद चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दयावती पत्नी स्व अमरसिह जाति जाट साकिन अरडकी हाल आबाद चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. नेकीराम पुत्र हिरालाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर।
2. घोकल पुत्र हिरालाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
3. रूलीचन्द पुत्र हिरलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 17 नोहर तहसील नोहरं
4. हरिश्चन्द्र पुत्र मोतीराम जाति रेगर साकिन वार्ड न0 17 नोहर तहसील नोहर।
5. नंदलाल पुत्र मोतीराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 17 नोहर तहसील नोहर।
6. श्यामलाल पुत्र मोतीराम जाति रेगर निवासी वार्ड संख्या 17 तहसील नोहर।
7. रफीक पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 17 नोहर तहसील नोहर।
8. मरदान अली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 17 नोहर
9. दीवानअली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर ।
10. यासीन खां पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
11. रमजान पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
12. सफी मोहम्मद पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
13. असगर पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
14. आमीन पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
15. बाबूखां पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर
16. सावरमल पुत्र घडसीराम जाति रेगर निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर त0 नोहर ।
17. रामसिह पुत्र घडसीराम जाति रेगर निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर त0 नोहर
18. बजुराम पुत्र कुशलाराम जाति रेगर निवासी वाड्र संख्या 17 नोहर
19. श्रवण पुत्र चन्दगीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर।
20. ईशाक मोहम्मद पुत्र आमीनखां जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर
21. सुणेखां पुत्र खेरदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
22. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

प्रतिवादीगण

24. राजेश पुत्र अमरसिह जाति जाट साकनि अरडकी हाल चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25. पुष्पा पुत्री अमरसिह जाति जाट साकिन अरडकी हाल चक राजासर तहसील नोहर
26. सुमित्रा पुत्री अमरसिह जाति जाट साकिन अरडकी हाल चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 ता 6
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी 1 ,8 ,11 ,14 ता 16 [illegible]
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 0[illegible]/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 83, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया

उपखण्ड अधिकारी नोहर

गया की रोही मौजा जोगी आसन नोहर के खसरा न0 22 की 2.19 बीधा भूमि दिनांक 19.05.1966 को खरीदशुद्वा खातेदारी भूमि है उक्त भूमि का खरीद के वक्त से कब्जा वादी के पास है वादी खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि पैमाईश हाल में खसरा न0 44 की 0.7210हैक रोही मौजा जोगीआसन न0 1 में परिर्वतन हो चुकी है वादी ने खसरा न0 44 की 0.7210हैक भूमि को स्वय काश्त करता था किन्तु 5–6 वर्ष से वादी बिमार रहने के कारण उक्त भूमि की देखभाल नही कर सका जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने उक्त कृषि भूमि पर अपने बाडे व मकानात बना लिये तथा प्रतिवादीगण का उक्त अतिक्रमण नाजायज व अवैध है विधि विरूद्व किया गया है प्रतिवादीगण विवादित भूमि रोही मौजा जोगीआसन के खसरा न0 44 की 0.7210हैक बिना किसी अधिकार व काननु के मकानात बनाये गये है तथा अन्य आसामीयान को हस्तान्तरण करने पर उतारू है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खसरा न0 44 की 0.7210हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा बनाये गये बाडे बटोडे मकानात विधि विरूद्व है जिन्हे हटवाया जाकर बदेखल किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को रजिस्टर सम्मन से तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ,3 7, 9 ,10 ,12 ,13 ,17 ,20 ता 22 उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की प्रतिवादीगण के पिता के नाम दिनांक 07.11.1977 तथा दिनांक 28.01.1981 को करवाये गये बैयनामा के आधार पर खरीदशुद्वा भूखण्ड है जिस पर हमेशा से मय परिवार आबाद है वादी लालची किस्म का व्यक्ति है तथा लोगो के बहकावें में आकर जमीनों की किमत बढने के लालचवंश बिना किस वजह के वाद पेश किया यगा है केवल प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने की नियत से वाद पेश किया गया है प्रश्नगत भूमि पर पिछले 50 सालों से काबिज है वादी का उक्त भूखण्ड की भूमि कोई हक हिस्सा नही है वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,11 ,14 ता 16 ,18 ,19 के अधिवक्ता ने वादी के बाद में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की वाद भूमि का वादी किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है वाद भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में ही वाद वादी पोषणिय नही है वादी ने स्वय उक्त भूमि कस्बा नोहर की आबादी में स्थित होने के कारण रजिस्टी व इकरानामें के जरिये प्रतिवादीगण को बेचान किया गया है वाद भूमि पर सैकडों मकान आवासीय मकान वाणिज्यक दुकान का निर्माण हो चुका है तथा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है नगर पालिका आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाने के कारण वाद पोषणीय नही है नगरपालिका के द्वारा वाद भूमि में सडके , विधुत पानी के कनैक्शन हेतु एनओसी जारी की गई है वाद भूमि पर वर्षो से आबासीय मकान दुकान का निर्माण हो चुका है वाद भूमि आबादी में परिर्वतन होने के कारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वादी एव वादी के पूर्वजों ने भूमि का बैयनामा ईकरारनामा से बेचान करने के कारण वादी का वाद लाने का कोई अधिकार नही है अतः वादी का वाद पोषणीय नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

वादी के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या 41 ,8 ,11 ,14 ता 16 ,18 ,19 के जबाब दावा के आधार पर तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में वादी ने अपना [illegible] जिस पर जिरह प्रतिवादीगण की गई इसीप्रकार प्रतिवादीगण से साक्ष्य प्रतिवादी में [illegible] ,नेकीराम पत्रु हीराराम ने अपना शपथ पत्र पेश किया [illegible] की गई वादी एव प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोगी आसन नोहर के खसरा न0 22 की 2.19 बीधा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 19.05.1966 को खरीदशुद्धा खातेदारी भूमि है उक्त भूमि का खरीद के वक्त से कब्जा वादी के पास है वादी खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि पैमाईश हाल में खसरा न0 44 की 0.7210हैक्ट रोही मौजा जोगीआसन न0 1 में परिर्वतन हो चुकी है वादी ने खसरा न0 44 की 0.7210हैक्ट भूमि को स्वय काश्त करता था किन्तु 5–6 वर्ष से वादी बिमार रहने के कारण उक्त भूमि की देखभाल नही कर सका जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने उक्त कृषि भूमि पर अपने बाडे व मकानात बना लिये तथा प्रतिवादीगण का उक्त अतिक्रमण नाजायज व अवैध है विधि विरूद्व किया गया है प्रतिवादीगण विवादित भूमि रोही मौजा जोगीआसन के खसरा न0 44 की 0.7210हैक्ट बिना किसी अधिकार व काननु के मकानात बनाये गये है

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खसरा न0 44 की 0.7210हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा बनाये गये बाडे बटोडे मकानात विधि विरूद्व है जिन्हे हटवाया जाकर बदेखल किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रतिवादीगण के पिता के नाम दिनांक 07.11.1977 तथा दिनांक 28.01.1981 को करवाये गये बैयनामा के आधार पर खरीदशुद्धा भूखण्ड है जिस पर हमेशा से मय परिवार आबाद है वादी लालची किस्म का व्यक्ति है तथा लोगो के बहकावें में आकर जमीनों की किमत बढने के लालचवंश बिना किस वजह के वाद पेश किया यगा है केवल प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने की नियत से वाद पेश किया गया है प्रश्नगत भूमि पर पिछले 50 सालों से काबिज है वादी का उक्त भूखण्ड की भूमि कोई हक हिस्सा नही है वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,11 ,14 ता 16 ,18 ,19 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि का वादी किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है वाद भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में ही वाद वादी पोषणिय नही है वादी ने स्वय उक्त भूमि कस्बा नोहर की आबादी में स्थित होने के कारण रजिस्टी व इकरानामें के जरिये प्रतिवादीगण को बेचान किया गया है वाद भूमि पर सैकडों मकान आवासीय मकान वाणिज्यक दुकान का निर्माण हो चुका है तथा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है नगर पालिका आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाने के कारण वाद पोषणीय नही है नगरपालिका के द्वारा वाद भूमि में सडके , विधुत पानी के कनैक्शन हेतु एनओसी जारी की गई है वाद भूमि पर वर्षो से आबासीय मकान दुकान का निर्माण हो चुका है वाद भूमि आबादी में परिर्वतन होने के कारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वादी एव वादी के पूर्वजों ने भूमि का बैयनामा ईकरारनामा से बेचान करने के कारण वादी का वाद लाने का कोई अधिकार नही है अतः वादी का वाद पोषणीय नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से ।

तनकी न.0 1 आया कि विवादित भूमि खसरा न0 44 की 0.7210हैक्ट रोही मौजा जोगी आसन न0 1 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 द्वारा बनाये गये मकानात बाडे अवैध एव नाजायज अतिक्रमण है जो बिना किसी विधिक प्राधिकार के है जिन्हे वादी हटवाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी प्रस्तुत की जाकर वाद भूमि का खातेदार काश्तकार होने का कथन कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा किया जा[illegible] का कथन [illegible]तिवादी संख्या 1 ता 22 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 ने [illegible] किया की वाद भूमि जरिये बेयनामा ईकरारनामा से खरीद की गई है तथा नगरपालिका सीमा में है जिस कारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादी या वादी के पूर्वजों ने प्रतिवादीगण को वाद भूमि जरिये बेयनामा एव ईकरारनामा के बैचान किया जाना पाया जाता है इकरारनामा से भूमि का बेचान करने के कारण राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम दर्ज चली आ रही है जिसका फायदा उठा कर वादी ने वाद प्रस्तुत किया गया है वादी स्वय ने स्वीकार किया गया है वाद भूमि पर मकानात आदि का निर्माण हो चुका है जब भूमि की किस्म ही परिर्वतन हो चुकी है तो वादी कृषि भूमि का कथन कर अनुतोष किसी आधार पर प्राप्त करना चाहता है अर्थात वादी ने तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया गया है जिस कारण वादी न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है

यह तथ्य तो वादी भी स्वीकार करता है वाद भूमि नगरपालिका सीमा में है क्योकि वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 के कथनों को कोई विरोध नही किया गया है वाद भूमि वर्तमान में नगरपालिका सीमा में होने के कारण नगरपालिका आवश्यक पक्षकार है जिसे वादी ने पक्षकार नही बनाया गया है।

वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 के कथनो के अनुसार वाद भूमि पर कस्बा नोहर में स्थित होने के कारण मकानात वाणिज्य दुकानों का निर्माण काफी समय पूर्व हो चुका है जिस पर नगरपालिका द्वारा सडकों विधुत पानी के कनैक्शन भी दिये जा चुकी है अर्थात वाद भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नही है बल्की आबादी भूमि है वाद भूमि पर आबादी बसने के कारण वाद भूमि का विवाद सुनने का अधिकार भी इस न्यायालय को नही है

वादी या वादी के पूर्वजों के द्वारा वाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 के बेयनामा ईकरारनामा के जरिये बेचान करना साबित होने के कारण वादी प्रतिवादीगण को वाद भूमि से बेदखल करवाने का अधिकारी नही है तनकी न0 1 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 2 आया कि प्रतिवादीसंख्या 1 ता 22 के खिलाफ इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि वे विवादित भूमि की मकानात आदि बनाकर किस्म तब्दील नही करे।

इस तनकी को साबिक करने का भार वादी पर था

वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वर्तमान में वाद भूमि पर कोई मकानात नही बने है जबकि पत्रावली में उपलब्ध बेयनामा ईकरारनामा से साबित है वादी या वादी के पूर्वजों ने वाद भूमि का बेचान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 को किया गया था जिस पर मकानात सडक वाणिज्यक दुकाने आदि का निर्माण वाद दायरी से पूर्व ही हो चुका है तो वादी किस आधार पर प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाना चाहता हे अतः तनकी न0 2 वादी के द्वारा साबित नही कर पाने के कारण वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 3 आया कि वादी आज्ञात्मक व्यादेष से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 को बदेखली की धोषणा करवाने का अधिकारी है

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर था

तनकी न. 1 ,2 में विवेचन किया जा चुका है कि वादी या वादी के पूर्वजों ने वाद भूमि जरिये बैयनामा ईकरारनामा के प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 को बेचान किया गया है तथा वर्तमान में नगरपालिका नोहर की आबादी में स्थित है वादी या वादी के पूर्वजों स्वय के द्वारा भूमि बेचान करने के कारण वादी किसी प्रकार की बेदखली करवाने का अधिकारी नही है ना ही [illegible] भूमि के सम्बध में इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है

तनकी न0 4 ता 7 जो निम्नप्रकार से है

तनकी न0 4 आया वाद वादी अदालत के क्षेत्राधिकार का नही है

तनकी न0 5 वाद वादी अन्दर मियाद नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तनकी न.0 6 आया वाद भूमि वादी द्वारा प्रतिवादीगण व अन्य लोगो को जरिये ईकरारनामा व बेयनामा के बेचान की गई है तथा ग्राम पचायत द्वारा पटटे भी बनाये गये है इसका वाद पर क्या असर है

तनकी न.7 आया वाद के खिलाफ इस्टोपल आरिज है।

उक्त सभी तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था

प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावा के समर्थन में वादी या वादी के पूर्वजों के द्वारा करवाये गये बैयनामा ईकरारनामा की प्रतिया पेश की गई है जिसके अवलोकन से पूर्णत्या साबित है कि वादी या वादी के पूर्वजों ने वाद भूमि को छोटे छोटे टुकडों में प्रतिवादीगण व अन्य लोगो को जरिये ईकरारनामा के बेचान किया गया है तथा वर्तमान में वाद भूमि संघन आबादी के रूप में मौका पर कृषि भूमि नही है नगरपालिका सीमा में नगर पालिका की आबादी बस चुकी है

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है जबकि स्वय के द्वारा ही वाद भूमि का बेचान किया गया है जब बेचान किया जा चुका तो वाद अब उक्त भूमि के सम्बध में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी ने जरिये ईकरारनामा के भूमि बेचान करने के कारण वाद भूमि वादी के नाम दर्ज चली आ रही है जिसका फायदा उठाने के लिये हस्तगत वाद पेश किया गया है अर्थात वादी ने न्यायालय से तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया गया है जो न्यायोचित नही है।

वर्तमान में वाद भूमि नगरपालिका सीमा मे स्थित होने के कारण नगरपालिका द्वारा सडकों विधुत पानी के कनैक्शन दिये जा चुके है अर्थात वाद भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नही है आबादी में परिर्वतन होने के कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है यह न्यायलय केवल कृषि भूमि के वाद को सुनने का अधिकार रखता है वादी ने भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया गया है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कृषि भूमियों के सम्बध में ना की आबादी भूति के सम्बध में

वादी ने वाद काफी देरीना से प्रस्तुत किया गया हे वादी ने देरीना को कोई सन्तोषजनक कारण भी व्यक्त नही किया गया है वादी का वाद मियाद के बाहर होना पाया जाता है

वादी या वादी के पूर्वजों के द्वारा वाद भूमि को जरिये बेयनामा व ईकरारनामा के बेचान करने के उपरान्त वाद घोषणात्मक पेश किया गया है इसलिये वादी के खिलाफ ऐस्टोपल आरिज है अर्थात वादी को वाद पेश करने की अधिकारीता नही है अतः तनकीआत प्रतिवादीगण के द्वारा साबित करने के कारण प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से साबित हो चुका है कि वाद भूमि को वादी या वादी के पूर्वजों ने जरिये बेयनामा व ईकरारनामा के बेचान किया गया है तथा वर्तमान में वाद भूमि नगरपालिका सीमा में स्थित है और पूर्णरूप से आबादी में परिर्वतन हो चुकी है आबादी भूमि के विवाद सुनने का अधिकारीता इस न्यायालय को नही है। अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के अभाव एव इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन अरडकी हाल आबाद चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 दयावती पत्नी स्व अमरसिह जाति जाट साकिन अरडकी हाल आबाद चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 नेकीराम पुत्र हिरालाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
2 घोकल पुत्र हिरालाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
3 रूलीचन्द पुत्र हिरलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 17 नोहर तहसील नोहरं
4 हरिश्चन्द्र पुत्र मोतीराम जाति रेगर साकिन वार्ड न0 17 नोहर तहसील नोहर।
5 नंदलाल पुत्र मोतीराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 17 नोहर तहसील नोहर।
6 श्यामलाल पुत्र मोतीराम जाति रेगर निवासी वार्ड संख्या 17 तहसील नोहर।
7 रफीक पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 17 नोहर तहसील नोहर।
8 मरदान अली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 17 नोहर
9 दीवानअली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर ।
10 यासीन खां पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
11 रमजान पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
12 सफी मोहम्मद पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
13 असगर पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
14 आमीन पुत्र बरकत जाति बिसायती वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
15 बाबूखां पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर
16 सावरमल पुत्र घडसीराम जाति रेगर निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर त0 नोहर ।
17 रामसिह पुत्र घडसीराम जाति रेगर निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर त0 नोहर
18 बजुराम पुत्र कुशलाराम जाति रेगर निवासी वाड्र संख्या 17 नोहर
19 श्रवण पुत्र चन्दगीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर।
20 ईशाक मोहम्मद पुत्र आमीनखां जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर
21 सुणेखां पुत्र खेरदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 17 नोहर तहसील नोहर
22 उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
23 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

प्रतिवादीगण

24 राजेश पुत्र अमरसिह जाति जाट साकनि अरडकी हाल चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25 पुष्पा पुत्री अमरसिह जाति जाट साकिन अरडकी हाल चक राजासर तहसील नोहर
26 सुमित्रा पुत्री अमरसिह जाति जाट साकिन अरडकी हाल चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 184 सन 2011 निर्णय दिनांक–

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण तथा पेशेकार राज्य की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य [illegible] न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/06/24 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:56 IST
Reason: SelfAttested